

-2-

बयनामा

बयनामा / -रु0
मालियत / -रु0
स्टाम्प / -रु0

मै श्री नरेन्द्र सिंह चडडा (PAN No. AEZPC7504A) पुत्र श्री
गुरवचन सिंह चडडा निवासी एस-559, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2
साउथ देहली ,शहर व जिला देहली प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवम

श्री(PAN No.-----) पुत्र.....

.....
(क्रेता) द्वितीय पक्ष हैं।

जो कि एक किता दुकान संख्या.....कारपेट एरिया वर्ग
मीटर स्थित ब्लाक बाबत भूखण्ड संख्या 5&CP/001C नया
मुरादाबाद सैक्टर 5 , देहली रोड, तहसील व जिला मुरादाबाद जिसको
आकाश शापिंग काम्पलैक्स, के नाम से जाना जायेगा जिसकी माप व
आकार संलग्न मानचित्रानुसार है, जिसमें उक्त विक्रीत दुकान को लाल
रंग से घिरा हुआ दर्शाया गया है, जो इस विलेख का अभिन्न भाग रहेगा,
जिस पर विक्रेता बजरिये खरीद बयनामा इकरारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण, मुरादाबाद बही सं. 1 जिल्द संख्या 12718 के पृष्ठ संख्या
139/154 तक क्रमांक 3663 दिनांक 15.07.2020 को उप निबंधक
द्वितीय, मुरादाबाद के कार्यालय में पंजीकृत हुई है के मालिक, काबिज व

दखील चले आते हैं। जिसकी निस्वत प्रथम पक्ष को हर इन्तकाल हाजा का हक हासिल है। जो इस वक्त तक हर तरह के बार मिस्ल रहन, बय, हिबा, जमानत, किफालत, कुर्की, नीलाम, मुआयदाबय दीगरे, लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स कानूनी व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है। जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा दीगर कोई शख्स या खानदानी प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार से शरीक या हकदार नहीं है।

लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हवास खमसा अपनी के बिना बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच व समझकर उक्त विक्रीत दुकान को समस्त स्वत्व व अधिकारों सहित, कुल अंकन रूपये
../- जिसके आधे रूपये/- होते हैं, में बहक

..... (क्रेता) द्वितीय पक्ष के हाथ बिल्कुल विक्रय कर दिया और कुल विक्रय लेन-देन धनराशि प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) उपरोक्त से प्राप्त करके आज की तिथि से उक्त विक्रीत दुकान पर उक्त द्वितीय पक्ष (क्रेता) को स्थल पर कब्जा व दखल देकर प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने अपने समान स्वामी व अधिकारी बना दिया है। आज से जो विधिक स्वत्व व अधिकार उक्त विक्रीत दुकान के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष (विक्रेता) को प्राप्त थे, वह सब और कुल स्वत्व व अधिकार उक्त विक्रीत दुकान के सम्बन्ध में इस विक्रय विलेख के द्वारा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को प्राप्त हो गये हैं।

अब प्रथम पक्ष (विक्रेता) अथवा प्रथम पक्ष (विक्रेता) के किसी भी विधिक उत्तराधिकारीगण अथवा स्थानापन्नो का कोई स्वत्व व अधिकार या कोई

लेन-देन राशि उक्त विक्रीत दुकान के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष (क्रेता) की ओर शेष नहीं रहा है और न भविष्य में कभी होगा। अतः उक्त विक्रीत दुकान का बदला उक्त विक्रय लेन-देन धनराशि से हो गया, जो हम पक्षगण को स्वीकार व मान्य है।

अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को स्वत्व व अधिकार है कि वे समस्त सरकारी अभिलेखों में से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम कटवाकर अपना नाम बहैसियत स्वामी अंकित करा ले और उससे जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, उपभोग उपयोग व निर्माण, विक्रय इत्यादि करे। आज की तिथि तक की समस्त विधिक देनदारियों का प्रथम पक्ष (विक्रेता) देनदार, जिम्मेदार व पाबन्द रहेगा। यही समस्त विधिक पाबन्दियाँ प्रथम पक्ष (विक्रेता) के विधिक उत्तराधिकारियों अथवा स्थानापन्नो पर भी लागू होंगी। विक्रेतागण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति वक्फ व कस्टोडियन, शत्रु, अर्बन सीलिंग इत्यादि सम्पत्ति नहीं है। जिसके सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध विलेख पंजीकृत नहीं हुआ है। उक्त व्यवसायिक परिसर का नक्शा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद से MBDA/BP/21-22/0548/ दिनांक 10.05.2022 द्वारा स्वीकृत है। क्रेता पक्ष के लिए पार्किंग रिजर्व नहीं है।

उक्त विक्रीत दुकान का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के कम्प्यूटर कोड सं०-0033 पृ ० सं. 23 के अनुसार दर/- ₹0 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है, इस प्रकार विक्रीत दुकान का मूल्यांकन /- रुपये होता है, जिस पर नियमानुसार रुपये/- का ई-स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

उक्त विक्रय विलेख पर/— रू0 का ई-स्टाम्प जिसका सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP दिनांक ई0 को जारी हुआ, लगाया गया है। अत एव यह विक्रय विलेख लिख दिया ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

चर्तुसीमाएँ विक्रीत आराजी जिसके सम्बन्ध में यह विक्रय विलेख लिखा गया है—

पूरब —
पश्चिम —
उत्तर —
दक्षिण —

तफसील वसूली—अंकन कुल मुबलिग रुपये...../— में से इस प्रकार कि रुपये/— आर.टी.जी.एस, दिनांक-.....-..... .. प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बयनामों के पंजीकरण के पूर्व प्राप्त किये।

| | |
|-------------|-----------|
| ह0 विक्रेता | ह0 क्रेता |
| साक्षी— | साक्षी— |

यह विक्रय विलेख आज दिनांक-.....-..... ई0 को स्थान मुरादाबाद बइकरार पक्षगण बमशबरा, एडवाकेट, ने टाईप किया।